न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच जनपद जालौन।
मुकदमा सं0–165/2019
सरकार बनाम् देवेन्द्र उर्फ देवान्शु गुप्ता

मु0अ0सं0 437/2017
धारा 354डी, भा0द0सं0
व 67ए आई.टी.एक्ट,
थाना कोंच जिला जालौन।

<u>आरोप</u>

मैं, पलाश गांगुली, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच, आप अभियुक्त **देवेन्द्र उर्फ देवान्शु गुप्ता** को एतद्द्वारा निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँः–

1– यह कि दिनांक 06.09.2017 को समय सुबह 7.50 बजे, स्थान पनयारा बस स्टैण्ड पर आपने वादिनी मुकदमा का पीछा किया और उसकी अनिच्छा के बावजूद सम्पर्क करने का प्रयास किया। इस प्रकार आपने भा0द0सं0 की धारा–354डी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा के मोबाईल व फेसबुक पर अश्लील मैसेज भेजा। इस प्रकार आपने धारा 67ए आई0टी0एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा मैं आपको निर्देश देता हूँ कि उक्त आरोपों में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।
दिनांक–21.06.2022

(पलाश गांगुली)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच
जनपद जालौन।

अभियुक्त को आरोपों को पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया व विचारण की मांग की।
दिनांक–21.06.2022

(पलाश गांगुली)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच
जनपद जालौन।